संख्या– 1/12/97– का–4– 2002

प्रेषक,

डी0एस0बग्गा,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव
उत्तर प्रदेश शासन ।

कार्मिक अनुभाग–4 लखनऊ : दिनॉक : अगस्त 07, 2002

विषय– सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों का सेवाविस्तार/ पुनर्नियुक्ति समाप्त किया जाना ।

महोदय,

कार्मिक विभाग के पत्र संख्या-1/12/97-का-4/1997, दिनांक 17 नवम्बर 1997 के द्वारा यह निर्देश दिये गये थे कि सेवाविस्तार एवं पुनर्नियुक्ति के मामलों में जहां अवधि समाप्त हो जाय, उसे आगे न बढाया जाय । लेकिन इन निर्देशों के बावजूद भी विभागों द्वारा सेवानिवृत्ति के उपरान्त सेवाविस्तार दिया जा रहा है तथा पुनर्नियुक्तियां की जा रही हैं । यह शासन की नीति के सर्वथा विरूद्ध है। अतः शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सेवानिवृत्ति के पश्चात पुनर्नियुक्ति अथवा सेवाविस्तार के आधार पर कार्य कर रहे अधिकारियों/ कार्मिकों की नियुक्तियां तत्काल समाप्त कर दी जांय ।

2– यदि अपरिहार्य परिस्थितियों में किसी अधिकारी/ कार्मिक को सेवानिवृत्ति के उपरान्त सेवाविस्तार अथवा पुनर्नियुक्ति के आधार पर बनाये रखना आवश्यक हो तो औचित्यपूर्ण सुस्पष्ट प्रस्ताव कार्मिक विभाग को संदर्भित किया जाय ताकि उसका गुण-दोष पर परीक्षण कर समुचित निर्णय लिया जा सके ।

3– कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुये एक मांह में समस्त कार्यवाही पूर्ण कर कार्मिक विभाग को अवगत कराया जाय । यह महत्वपूर्ण प्रकरण है, अतः इस पर आपका व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है ।

भवदीय,

(डी0एस0बग्गा)
मुख्य सचिव

---2

संख्या-1/12/97(1)-का-4-2002,तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल ।
2- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी ।
3- प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव ।
4- निजी सचिव, समस्त मा0 मंत्रिगण ।
5- सचिव, विधान सभा/ विधान परिषद, उत्तर प्रदेश ।
6- समस्त विभागाध्यक्ष/ प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
7- समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
8- सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
9- प्रमुख सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को इस अनुरोध के साथ कि वे सार्वजनिक निगमों/ निकायों आदि में उक्त शासनादेश के प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें ।

आज्ञा से,

(भुइयाँदीन)
विशेष सचिव ।